संख्या : /VIII/10–प्रशि0/05

प्रेषक,

सोहन लाल
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून दिनांक: 13 फरवरी, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु सेंटर आफ एक्सीलेंस के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी जनपद नैनीताल में चल रहे व्यवसाय आटोमोबाइल्स के भवन निर्माण एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (युवक) देहरादून में चल रहे व्यवसाय इलैक्ट्रिकल्स के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 534/डी0टी0ई0यू0 /0450/से0आफ एक्सी0/2006 दिनांक 20,जनवरी–2005 के सन्दर्भ में एवं रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30,दिसम्बर–2005 जिसके द्वारा सेंट्रल आफ एक्सीलेंस के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी जनपद नैनीताल में चल रहे व्यवसाय आटोमोबाइल्स के भवन निर्माण एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (युवक) देहरादून में चल रहे व्यवसाय इलैक्ट्रिकल्स के भवन निर्माण हेतु उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल द्वारा प्रस्तुत रूपये 40.09 लाख के आगणन एवं उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंवं निर्माण निगम, देहरादून द्वारा प्रस्तुत रूपये 40.00 लाख के आंगणन पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय भारत सरकार ने एन0सी0वी0टी0 के मानकों के अनुरूप परीक्षणोपरांत अपनी सहमति प्रदान करते हुए केन्द्रांश के रूप में आई0टी0आई0 हल्द्वानी एवं आई0टी0आई0 (युवक) देहरादून के भवन निर्माण हेतु रूपये 60 लाख स्वीकृत करते हुए इसके सापेक्ष रूपये 15 लाख अग्रिम (7.5–7.5 लाख) के रूप में अवमुक्त कर दिये गये हैं ।

2– अतः उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि सेंट्रल आफ एक्सीलेंस के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी जनपद नैनीताल में चल रहे व्यवसाय आटोमोबाइल्स के भवन निर्माण एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (युवक) देहरादून में चल रहे व्यवसाय इलैक्ट्रिकल्स के भवन निर्माण हेतु उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल द्वारा प्रस्तुत रूपये 40.09 लाख के आगणन एवं उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून द्वारा प्रस्तुत रूपये 40.00 लाख के आंगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष आलोच्य वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु केन्द्रांश रूपये 15 लाख एवं राज्यांश रूपये 10 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 25 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2005–06 में करने का कष्ट करें, यदि तिथि के उपरान्त कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसका नियमानुसार शासन को समर्पण कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की भौतिक प्रगति सहित शासन को उपलब्ध करायी जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4— कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

5— कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

6— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31,मार्च–2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

7— कार्य करने के पूर्व यदि किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो तो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

9— व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

10— स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराने पर ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

11— कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्यतता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

12— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्यलेखाशीषक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003– दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें 0101– योजना आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (75 प्रतिशत के0स0) के अन्तर्गत 24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

13— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0: 59/XXVII(5)/2006, दिनांक 06.02.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 163 (1)/VIII/10–प्रशि0/2005 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून
2– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
3– अनुसचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को उनके उक्त पत्र दिनांक 30 दिसम्बर–2005 के क्रम में सूचनार्थ ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री।
5– निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री ।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
7– प्रधानाचार्य, राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी एवं देहरादून (युवक)।
8– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट।
9– महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून/नैनीताल ।
10– वित्त अनुभाग–5
11– नियोजन–विभाग, उत्तरांचल शासन/एन0आई0सी0 सचिवालय।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0चौहान)
अनुसचिव।